

## कार्यालय

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक:- 09/08/2021

### कार्यालय बाप:-

उच्चित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (जर्मनी का) उचित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, (UP) लखनऊ में सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक:- 08/08/2021 की परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभ्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बंदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, (UP) लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम पूर्व उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 407B-KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY, VILL-RAJEPUR, POST-KAJGACH, JAUNPUR-222136

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क को प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (UP) प्राथमिक शिक्षा परिषद तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाण विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित संस्था को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अन्य संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।



- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उ०पी०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०पी० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०पी० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी०सी०आई० नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी टाइट टैगार किया जाता है तथा टाइट टैग के संबंध में न्य. न्यायपाल्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साध-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुल्क, साइकल बुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को प्रभावित करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की समतुल्य समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साध-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ समतुल्य शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निगमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राधिपा/पनिपद/सम्बद्धता/2021/3538-4808

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY, VILL-RAJEPUR, POST-  
KAJGAON, JAUNPUR-221135



*(Handwritten Signature)*  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय**

**उच्च शिक्षण प्रविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

उत्तरांक दिनांक: 30/01/2022

**कार्यालय काप**

केंद्रित भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पाठ्यक्रम विकास बोर्ड दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा/संश्लेषित राष्ट्रीय राजकीय शिक्षा परिषद से अनुमोदित प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त प्रविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/01/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गद्यों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिद्ध गयी निर्णय के अनुसार सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के अर्जन पाठ्यक्रम एवं उद्योग अर्थव्यवस्था सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का लॉड एवं नाम : 4076-KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2010 तथा संश्लेषित सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित संस्थाओं का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष परिसरों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षों के लिए प्रत्येक संस्थाओं (दो वर्षों के लिए) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक संस्थाओं से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योग अर्थव्यवस्था सम्बद्धता में सत्र-2022-23 पर भाग लेने वाले संस्थाओं को निर्धारित प्रवेश क्षमता बढ़ाने, और उद्योग अर्थव्यवस्था सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के लिए आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
- ✓ संस्था को उद्योग अर्थव्यवस्था पर निर्मित ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने हेतु सक्षम बनाने हेतु।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, निर्देशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदित प्रमाण प्राप्त है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायी संस्था बन होगी और विधिक रूप से किसी भी प्रकार के विवादों का उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद



का परिषद, समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश कक्षा के विषय यदि कोई कद खतरा किया जाता है तथा दाखल वार के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्स्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।

- ✓ संस्थाओं को संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रवेश कक्षा एवं उच्च प्रवेश परीक्षा परीक्षा हेतु आगे विहित कक्षा निर्धारण प्रारंभ होने के पूर्व ५०-आरई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगे के प्रवेश परीक्षा पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ उच्च प्रवेश कक्षा द्वारा प्रवेश हेतु संस्थाओं पर निर्गत नवीनतम आदेशों तथा अनुसूचन कक्षा बाधकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुक्ति भूमि, स्टाफ, साधन-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रावास सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त तैयारी उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के उपायों में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासनिक संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध कराए गये अभिलेख, भूमि-आगत, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा निर्गमित अन्य पाठ्यक्रम के संपालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बन्धित समाप्त किया जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सख्त-सज्जा ५०-आरई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ वायव्यता नोटों का अनुपालन न करने वाले संस्थाओं का उद्देश्य किया जाने की शिर्षक में निगमानुसंग अनुपालनकरण पर कार्यवाही की जायेगी।

*(Signature)*  
 (रफ्तार) खान

सचिव

पू.सं. प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7811-8499

दिनांक: 30/08/2022

पत्रिका:-  
 प्रकाशक: KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY

*(Signature)*  
 (रफ्तार) खान

सचिव



**कार्यालय,****राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

**कार्यालय ज्ञाप:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में कम्पक दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4078-KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एकताई/सैमी/टी/आई/पी/टीसी/आई/टी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-30000/2022 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की ओर के विद्युत मासिक आवाहन में संश्लिष्ट सैद्धिक सत्र 2023/2023 में मासिक आवाहन के अंतिम निर्णय के अंतर्गत सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, वीर उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद पत्र संख्या 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सैद्धिक विनियमवली-2016 तथा सत्र-सत्र पर निर्णय आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रत्येक अवसर से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त सत्र पर चलन द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामला/सत्र प्रकृत होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो संस्था को सर्वोत्तम तरीके लगे होगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवदित शर्तों को ही प्रयोग दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समस्त सत्र पर निर्णय आदेशों के अनुसार निर्धारित शुल्क/सुविधा शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय विनियमवली-2016, सैद्धिक विनियमवली-2000 एवं विनियम, प्राथमिक शिक्षा, उ० प्र०, संपुर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा संचालित, विनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन



